

11.7.17



पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता को
पृथक - 2 समय पर रक - 2 कर,
पार - 2 आवाजें लगाई गई, लेकिन
वे टाजिब नहीं हुए। न ही निगरानीकर्ता
के अब-डारा गत आदेशों की पाठ्य
में जोरिस् तथावाला पेश किए हैं। ऐसी
स्थिति में निगरानी अदम टाजरी,
अदम पैरवी एवं डिफाल्ट में खारिज
की जाती हैं। पत्रावली के संख्यासूचक
की आकर नम्बर से कम की जावे
तो पाठ तकसीब विद्या अतिथिखेरागार
में जमा कराई जावे। आदेश सुन्या
गया।

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

